उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु दिशा निर्देश

- उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की शासी समिति की बैठक दिनॉक 30.09.2010 के निर्णयानुसार पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु आवेदन पत्र 01 फरवरी से 31 जुलाई के मध्य ही स्वीकार किये जायेगें।

- पैरामेडिकल एवं नर्सिंग डिप्लोमा प्रशिक्षण का आवेदन/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क वर्तमान में 2,60,000/– रूपये (दो लाख साठ हजार रूपया मात्र) प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित किया गया है।

- नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु प्रत्येक वर्ष दिनॉक 01 फरवरी से 31 जुलाई के मध्य आवेदन हेतु नियमावली कार्यालय कार्य दिवसों में प्राप्त कर ऑन–लाइन आवेदन संलग्नकों सहित (PDF/ZIP फार्मेट में) निर्धारित शुल्क के साथ सबमिट किया जा सकता है।

- डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु भी आवेदन पत्र 01 फरवरी से 31 जुलाई के मध्य ही स्वीकार किये जायेगें।

- जी0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा प्रख्यापित मानकों के अनुरूप संस्था का स्वयं का 100 बेड का चिकित्सालय व प्रशिक्षण भवन 23720 वर्गफिट एवं हास्टल भवन 30750 वर्गफिट का होना अनिवार्य है (लीज अथवा किराये का भवन मान्य नहीं होगा)। विस्तृत विवरण हेतु इस प्रशिक्षण की नियामक संस्थान इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली की वेबसाइट www.indiannursingcouncil.org का अवलोकन करें।

- हेल्थ वर्कर (महिला)/ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु वही संस्थायें अर्ह होंगी जो इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जी.एन.एम. प्रशिक्षण संचालित कर रही हों और उनके पास इस प्रशिक्षण हेतु 10,000 वर्गफिट का प्रशिक्षण भवन अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो।

- पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु आवेदन के पास 50 बिस्तरों का रनिंग चिकित्सालय व 10,000 वर्गफिट भूमि में 6,000 वर्गफिट प्रशिक्षण भवन निर्मित हो। प्रत्येक अतिरिक्त डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु 1,000 वर्गफिट के अतिरिक्त अध्ययन कक्ष उपलब्ध हों। यदि चिकित्सालय व प्रशिक्षण केन्द्र एक ही परिसर में हो तो संस्था के पास 20,000 वर्गफिट भूमि व 16,000 वर्गफिट का भवन (10,000 वर्गफिट में 50 बेड का चिकित्सालय व 6,000 वर्गफिट में प्रशिक्षण केन्द्र)। चिकित्सालय व प्रशिक्षण भवन आवेदक संस्था/ट्रस्ट/सोसाइटी के स्वामित्व का होना अनिवार्य है।

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अन्तर्गत पैरामेडिकल एवं नर्सिंग डिप्लोमा प्रशिक्षण खोलने की नीति व सामान्य नियम/मानक

उपलब्ध प्रशिक्षण :–

वर्तमान नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित पैरामेडिकल विषयों में डिप्लोमा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। नीचे दी गई तालिका में से आवेदन करने वाले विषयों का चयन किया जा सकता है।

क्र. सं.	डिप्लोमा का नाम	अवधि	पात्र प्रशिक्षण केन्द्र हेतु अनिवार्य नियम (विस्तृत नियम आगे उपलब्ध हैं)
1.	जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी (जी0एन0एम0)	3 वर्ष	फैकल्टी द्वारा शासन को नियमानुसार निरीक्षण आख्या भेजी जायेगी। शासन द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र (Essentiality Certificate) जारी किया जायेगा। केन्द्र के मान्यता संबंधी समस्त कार्यवाही इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के द्वारा की जायेगी। समस्त मानक इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के ही लागू होंगे।
2. 3. 4.	डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नीशियन डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन	2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष	यह प्रशिक्षण केवल उन मेडिकल कालेजों को ही दिया जा सकेगा जिन्हें केन्द्र सरकार तथा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अंतिम मान्यता प्राप्त (5 वर्ष के उपरान्त) हो चुकी हो।
5.	डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री	2 वर्ष	नेत्र रोग चिकित्सा का आधुनिक प्रबंध हो। एकल अस्पताल अथवा जनरल अस्पताल जिसमें नेत्र रोग चिकित्सा विभाग अलग से हो। (क) स्वयं का 50 बिस्तरों का अस्पताल हो। (ख) 10000 वर्गफिट भूमि पर 6000 वर्गफिट का प्रशिक्षण केन्द्र हो।
6.	डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी	2 वर्ष	अस्थि रोग चिकित्सा एवं फिजियोथिरेपी विभाग की सुविधा हो। (क) स्वयं का 50 बिस्तरों का अस्पताल हो। (ख) 10000 वर्गफिट भूमि पर 6000 वर्गफिट का प्रशिक्षण केन्द्र हो।
7.	डिप्लोमा इन आपरेशन थियेटर टेक्नीशियन	2 वर्ष	कम से कम 50 विस्तरों के अस्पताल में सभी विशेषज्ञताओं के 100 मेजर व 200 माइनर सर्जरी प्रतिमाह होती हो। 10000 वर्गफिट भूमि पर 6000 वर्गफिट का प्रशिक्षण केन्द्र हो।

7.	डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी टेक्नीशियन	2 वर्ष	स्वयं के 50 विस्तरों के अस्पताल में उन्नत ICCU की व्यवस्था हो। 10000 वर्गफिट भूमि पर 6000 वर्गफिट का प्रशिक्षण केन्द्र हो।
9.	डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन	2 वर्ष	स्वयं के 50 विस्तरों के जनरल अस्पताल में कम से कम 2 डायलिसिस यूनिट कार्यरत हो। 10000 वर्गफिट भूमि पर 6000 वर्गफिट का प्रशिक्षण केन्द्र हो।
10.	डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन	2 वर्ष	सी0टी0 स्कैन मशीन हो, 100 सी0टी0 स्कैन प्रतिमाह होते हों अथवा सी0टी0 स्कैन सेन्टर हो जहां पर मानकानुसार उच्च व्यवस्था हो।
11.	डिप्लोमा इन एम0आर0आई0	2 वर्ष	एम0आर0आई0 मशीन हो, 100 एम0आर0आई0 प्रतिमाह होते हो अथवा एम0आर0आई0 सेन्टर हो जहां पर मानकानुसार उच्च व्यवस्था हो।
12.	डिप्लोमा इन सैनीटेशन	1 वर्ष	10000 वर्गफिट भूमि पर 6000 वर्गफिट का भवन। अस्पताल अनिवार्य नहीं।
13.	डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन	2 वर्ष	10000 वर्गफिट भूमि पर 6000 वर्गफिट का भवन। अस्पताल अनिवार्य। स्वयं का 50 बिस्तरों का अस्पताल 10000 वर्गफिट भूमि पर, 20 ट्रामा व क्रिटिकल केयर के रोज मरीज हों। ICU/CCU अनिवार्य है।
14.	सार्टिफिकेट इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर असिस्टेंट	6 माह	10000 वर्गफिट भूमि पर 6000 वर्गफिट का भवन। अस्पताल अनिवार्य। स्वयं का 50 बिस्तरों का अस्पताल 10000 वर्गफिट भूमि पर, 20 ट्रामा व क्रिटिकल केयर के रोज मरीज हों।
15.	डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांफ्यूजन टेक्नीशियन	2 वर्ष	10000 वर्गफिट भूमि पर 6000 वर्गफिट का भवन। अस्पताल अनिवार्य। स्वयं का 50 बिस्तरों का अस्पताल 10000 वर्गफिट भूमि पर।